



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082025-265182  
CG-DL-E-02082025-265182

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 474]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

## पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 517(अ).—अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अंतर्देशीय पोत (सर्वेक्षण और प्रमाणन) (पहला संशोधन) नियम, 2024 का प्रारूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2025 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 25 फरवरी, 2025 में, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 25 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (छ) से (ठ) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2), धारा 10 की उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) और (3), तथा धारा 13 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्देशीय पोत (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय पोत (सर्वेक्षण और प्रमाणन) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अंतर्देशीय पोत (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, 24 मीटर और उससे अधिक माप वाले पोतों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार माप पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम वाले पोतों के सकल टन भार की गणना समय-समय पर संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार माप) नियम, 1987 के नियम 3 के अनुसार की जाएगी।”

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) में, -

(क) खंड (ख) में, “अंतर्देशीय पोत सर्वेक्षण प्रमाणपत्र” शब्दों के स्थान पर “सर्वेक्षण प्रमाणपत्र” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ग) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की पांच वर्ष की अवधि के दौरान, पोत के तल के बाहर, शुष्क गोदी या स्लिपवे में कम से कम दो निरीक्षण किए जाएंगे:

परंतु ऐसे किन्हीं दो निरीक्षणों के बीच का अंतर छत्तीस महीने से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह और कि यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है तो शुष्क गोदी या स्लिपवे में एक निरीक्षण के बदले जल सर्वेक्षण में एक निरीक्षण की अनुमति दी जा सकेगी, अर्थात्:-

(i) पोत की आयु 20 वर्ष से कम है;

(ii) पोत खारे पानी में संचालित नहीं हो रहा है।

4. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(क) उपनियम (1) में, “नियम 9” शब्द और अंक के स्थान पर, “यह नियम” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, उपखंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) रेडियो और नेविगेशन उपस्कर।”

5. उक्त नियमों के नियम 11 का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (1) में, “नियम 9” शब्द और अंक के स्थान पर “नियम 10” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, नियम 22 में, उपनियम (4) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“23. सर्वेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं.- अंतर्देशीय जलयानों के सर्वेक्षक के पास निम्नलिखित में से कोई भी अर्हता और सुसंगत अनुभव होना चाहिए, अर्थात्:-

(क) समुद्री या यांत्रिक या विद्युत इंजीनियर या नौसेना वास्तुकार, जिसके पास प्रथम या द्वितीय श्रेणी मोटर या स्टीम इंजन हो, परिवहन मंत्रालय का प्रमाणपत्र महानिदेशक, पोत परिवहन भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य प्रमाणपत्र हो और प्रथम सक्षमता प्रमाणपत्र के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव हो, चाहे वह समुद्र में जाने वाले नियमित पोतों में हो या वर्गीकरण सोसाइटियों में या पोत निर्माण यार्डों में या प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन कंपनियों में या राज्य पत्तन विभाग में या राज्य समुद्री बोर्ड में या पोत परिवहन महानिदेशालय में या व्यापारिक समुद्री विभाग में या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय में या समतुल्य में हो; या

(ख) मास्टर मेरिनर (विदेश जाने वाला) जिसके पास पोत परिवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर प्रमाणपत्र या समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् पोत परिवहन या समुद्री प्रशिक्षण या समुद्री सर्वेक्षण में पांच वर्ष का अनुभव हो; या

(ग) पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी समुद्री इंजीनियर अधिकारी वर्ग 3 (तटीय यात्रा पोत के निकट-मुख्य इंजीनियर अधिकारी) प्रमाण पत्र या मास्टर (तटीय यात्रा पोत के निकट) प्रमाण पत्र, जिसमें नौकायन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव मास्टर या मुख्य इंजीनियर के रूप में और वर्गीकरण सोसाइटियों या पोत निर्माण यार्ड या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन कंपनियों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य समुद्री बोर्ड या पोत परिवहन महानिदेशालय या व्यापारिक समुद्री विभाग या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समतुल्य में पांच वर्ष का अनुभव हो; या

(घ) नौसेना वास्तुकला में आधारीक डिग्री के साथ समुद्र में जाने वाले नियमित पोतों या वर्गीकरण समितियों या पोत निर्माण यार्डों या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग निगमों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समतुल्य में सात वर्ष का अनुभव हो; या

(ङ) समुद्री नियमित पोतों या वर्गीकरण समितियों या प्रतिष्ठित पोत निर्माण यार्ड या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग निगमों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समतुल्य में पंद्रह वर्ष के अनुभव के साथ पोत निर्माण में डिप्लोमा हो।

9. उक्त नियमों के नियम 24 का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप संख्या 1

अंतर्देशीय पोत का सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन पत्र

तारीख:

स्थान:

सेवा में,

नामित प्राधिकारी

..... पत्तन ।

अंतर्देशीय पोत के सर्वेक्षण के लिए आवेदन (प्रकार बताएं)

मैं/हम, विधि के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, नीचे वर्णित अंतर्देशीय पोत के प्रारंभिक/नवीकरण/ड्राई डॉकिंग/अतिरिक्त/वार्षिक (लागू न होने वाले को काट दें) के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए आपसे आवेदन करते हैं।

पोत का विवरण निम्नानुसार है;

1. पोत का नाम
2. पोत का आधिकारिक संख्यांक
3. पोत की रजिस्ट्री का पत्तन
4. टन भार ( i ) रजिस्ट्रीकृत ..... (ii) सकल .....(iii) शुद्ध .....
5. पोत का प्रकार

(यात्री/यात्री-सह-कार्गो/कार्गो/टैंकर, रासायनिक वाहक, एलएनजी वाहक, टग, डंब बार्ज, सर्वेक्षण पोत, कार्य नौका, कैटामारन यात्री पोत, पुशर टग, ड्रेजर-किसी भी अन्य प्रकार का पोत)

6. पोत का वर्ग
7. निर्माण का वर्ष

8. कील बिछाने की तारीख
9. निर्माता का नाम और पता
10. पतवार आयाम (एलxबीxडीxटी)
11. अंतिम सर्वेक्षण का स्थान और तारीख
12. मुख्य नोदन मशीनरी का प्रकार और ब्रिटिश हॉर्स पावर (बीएचपी)
13. अन्य मशीनरी का विवरण
14. लिफ का नाम और पता टेलीफोन संख्या 9/20 के साथ
15. अभिकर्ता का नाम और पता टेलीफोन संख्या के साथ
16. सर्वेक्षक के प्रस्तावित दौरे की तारीख और समय
17. प्रस्तावित सर्वेक्षण का स्थान

स्वामी/मास्टर/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्टेशन .....

तारीख.....

संलग्नक:

1. सर्वेक्षण फीस और अन्य शुल्कों के भुगतान का प्रमाण
2. अंतिम सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की प्रति
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (यदि पहले से रजिस्ट्रीकृत है)
4. प्राधिकृत व्यक्ति (यदि अनुरोध किया जा रहा है) का प्राधिकार स्थापित करने वाला दस्तावेज़।
11. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 2 के उपाबंध की सारणी में, शीर्ष "अग्निशमन मद" के अधीन, "अग्निशमन पंप (यांत्रिक)" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-  
"फायर पंप (यांत्रिक)/(विद्युत)"।
12. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 4 में,-  
(क) "मास्टर सीओसी ग्रेड" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, "इंजीनियर या इंजन चालक सीओसी ग्रेड" शब्द रखे जाएंगे;  
(ख) "मुख्य सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित" शब्दों के स्थान पर "यथा लागू, सर्वेक्षक या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित," शब्द रखे जाएंगे।
13. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 5 में,-  
(क) शीर्ष में, "-ए श्रेणी पोत" अक्षर और शब्दों का लोप किया जाएगा;  
(ख) शीर्ष के नीचे, "सर्वेक्षण प्रमाणपत्र संख्या \_\_\_\_\_ संचालन क्षेत्र \_\_\_\_\_" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-  
"पोत की श्रेणी \_\_\_\_\_"

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र संख्या \_\_\_\_\_ संचालन क्षेत्र \_\_\_\_\_".

14. उक्त नियमों के प्ररूप संख्या 6 का लोप किया जाएगा।

15. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

#### “प्ररूप संख्या 7

नए पोत या पोतों के सर्वेक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण जिनका पहली बार सर्वेक्षण किया जाना है

1. पोत का नाम (यदि पहले से नामित है)/यार्ड संख्या \_\_\_\_\_

2. स्वामी का नाम और पता

3. जलयान की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 16/20

4. जलयान का प्रकार.

(यात्री, मालवाहक, माल-सह-यात्री, रासायनिक वाहक, तरल वाहक, टग, गूंगा बजरा, रासायनिक वाहक, एलएनजी वाहक, टग, डंब बजरा, सर्वेक्षण जलयान, कार्य नौका, कैटामारन यात्री जलयान, पुशर टग, ड्रेजर या किसी अन्य प्रकार का जलयान)

5. पतवार का विवरण

(क) निर्माण वर्ष

(ख) कील बिछाने की तारीख

(ग) निर्माता का नाम और पता

(घ) निर्माता का प्रमाण पत्र

(ङ) पतवार की सामग्री (माइल्ड स्टील/एल्युमीनियम/कम्पोजिट/अन्य)

(च) बल्क हेड्स की संख्या, उनका स्थान और मोटाई

(छ) पतवार चढ़ाना सामग्री और मोटाई

(ज) फ्रेम (सामग्री और मोटाई)

(झ) फर्श (सामग्री और मोटाई)

6. इंजनों के नोदन का विवरण

(क) लगाए गए सेटों की संख्या और क्रम संख्या

(ख) निर्माता का नाम और ब्रांड

(ग) मॉडल संख्या

(घ) निर्माण वर्ष

(ङ) इंजन का प्रकार और प्रत्येक का एचपी

(च) स्ट्रोक \_\_\_\_\_ सिलेंडर व्यास \_\_\_\_\_

(छ) नोदन शाफ्ट और सामग्री का व्यास

(ज) गियर का प्रकार और संख्या

(झ) परीक्षण प्रमाणपत्र

7. उपस्करों का विवरण

(क) एंकर-पोर्ट, स्टारबोर्ड (प्रत्येक का प्रकार, संख्या, वजन और सामग्री)

- (ख) एंकर-स्पेयर (प्रत्येक उपकरण का प्रकार, संख्या, वजन और सामग्री)
- (ग) चेन: आकार, प्रकार और लंबाई तथा परीक्षण प्रमाणपत्र (पोर्ट)
- (घ) चेन: आकार, प्रकार और लंबाई तथा परीक्षण प्रमाणपत्र (स्टारबोर्ड)
- (ङ) मूरिंग और टोइंग रस्सियाँ-आकार, सामग्री, रस्सी की टूटने की ताकत और रस्सियों की संख्या
- (च) सर्च लाइट, संख्या, आकार और शक्ति
- (छ) जीवन रक्षक ट्यूब, स्व-प्रज्वलित रोशनी के साथ उत्प्लावन साधित्र, उत्प्लावन डोरी के साथ संख्या
- (ज) नेविगेशन लाइट्स, विवरण और प्रमाण पत्र देते हुए, मुख्य मस्तूल, सहायक मस्तूल, पत्तन, स्टारबोर्ड, स्टेम, एंकर कमांड के अधीन नहीं हैं
- (झ) कमान के अधीन न होने वाले लंगर के लिए आकृतियाँ आदि।
- (ञ) ध्वनि संकेत: यांत्रिक या विद्युत

8. अग्निशमन उपकरण का विवरण

- (क) अग्निशमन पंपों की संख्या, आकार और क्षमता 17/20
- (ख) अग्नि मुख्य पाइप, व्यास, सामग्री और हाइड्रेंट की संख्या
- (ग) होज़ों की संख्या
- (घ) नोजल:
  - (i) जेट प्रकार
  - (ii) स्प्रे प्रकार
  - (iii) जेट/स्प्रे प्रकार
- (ङ) कोई अन्य उपकरण

9. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की संख्या, निर्माता का नाम और विवरण

- (क) सोडा एसिड
- (ख) फोम
- (ग) सूखा पाउडर
- (घ) कोई अन्य प्रकार

10. संचार उपस्करों का विवरण

11. नेविगेशन उपस्कर का विवरण

12. प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों का विवरण

- (क) सीवेज उपचार और निपटान
- (ख) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान
- (ग) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण
- (घ) पानी की खपत/दिन
- (ङ) जल का स्रोत

13. डेक क्रू की संख्या \_\_\_\_\_ इंजन क्रू की संख्या \_\_\_\_\_

14. यात्रियों की संख्या और/या माल का कुल भार

15. योजनाएं, चित्र, आदि।”

16. उक्त नियमों के प्ररूप संख्या 9 में, "अंतर्देशीय जलयानों का मुख्य सर्वेक्षक" शब्दों के स्थान पर, "निर्दिष्ट प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021- आईडब्ल्यूटी(2)]

पी. के. रॉय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 7 जून, 2022 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 420 (अ), तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

**G.S.R. 517(E).**—Whereas a draft of the Inland Vessels (Survey and Certification) (First Amendment) Rules, 2024 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 148 (E), dated the 25<sup>th</sup> February, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25<sup>th</sup> February, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 25<sup>th</sup> February, 2025;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9, sub-section (2) of section 10, sub-section (1) of section 11, sub-sections (1) and (3) of section 12, and sub-sections (1) and (3) of section 13 read with clauses (g) to (l) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, namely: —

1. (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Survey and Certification) Amendment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 2, after clause (d), the following explanation shall be inserted, namely: -  

“*Explanation.* – For the purposes of this sub-rule, gross tonnage of vessels measuring 24 meters and above shall be calculated according to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas gross tonnage of vessels with less than 24 meters shall be calculated according to rule 3 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987, as amended from time to time.”.
3. In the said rules, in rule 5, in sub rule (1), –  
  - (a) In sub rule (1) for the figures “2022”, the figures “2024” shall be substituted;
  - (b) In sub rule (2) for the figures “2022”, the figures “2024” shall be substituted;
4. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), –  
  - (a) in clause (b), for the words “Inland Vessel Certificate of Survey”, the words “certificate of survey” shall be substituted;
  - (b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -  

“(c) a minimum of two inspections in dry dock or slipway, of the outside of the vessel’s bottom, carried out during the five-year period of validity of the certificate of survey:

Provided that the interval between any two such inspections shall not exceed thirty-six months:

Provided further that one inspection in water survey may be allowed in lieu of one inspection in dry dock or slipway, in case any of the following conditions are satisfied, namely: –

- (i) the vessel is less than 20 years of age;
- (ii) the vessel is not operating in saline water.”.

5. In the said rules, in the rule 9, –

- (a) in sub rule (1), in clause (a), for the word and figure “sub rule (2)”, the words and figures “sub rule (2) of rule 8” shall be substituted;
- (b) sub rule (2) shall be omitted;

6. In the said rules, in rule 10, –

- (a) in sub-rule (1), for the word and figure “rule 9”, the words “this rule” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (2), after sub-clause (j), the following sub-clause shall be inserted, namely: -  
“(k) radio and navigation equipment;  
(l) pollution prevention items.”.

7. Rule 11 of the said rules shall be omitted.

8. In the said rules, in rule 12, –

- (a) in sub-rule (1), for the word and figure “rule 9”, the word and figure “rule 10” shall be substituted.
- (b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

“(7) For existing vessels, the outside of the vessel’s bottom shall be inspected within twelve months preceding the issue of the certificate of survey under these rules.”.

9. In the said rules, in rule 22, sub-rule (4) shall be omitted.

10. In the said rules, for rule 23, the following rule shall be substituted, namely: –

**“23. Qualifications for appointment as Surveyor.** - A surveyor of inland vessels shall possess any of the following qualifications and relevant experience, namely: –

(a) Marine or Mechanical or Electrical Engineer or Naval Architect in possession of Marine Engineer Officer I or II Class (Motor or Steam) Certificate issued by the Director General of Shipping, Government of India or equivalent certificate recognised by the Government of India and five years of experience after first certificate of competency either in sea going regular vessels or classification societies or ship building yards or reputed international shipping companies or the State Port Department or the State Maritime Board or the Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department or the State Inland Waterways Authority or the Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(b) Master Mariner (Foreign going) with five years of sailing experience or experience in maritime training or marine survey after having obtained master’s certificate issued by the Director General of Shipping, Government of India or equivalent international certificate; or

(c) Marine Engineer Officer Class III (Near Coastal Voyage Vessel-Chief Engineer Officer) Certificate or Master (Near Coastal Voyage Vessel) certificate issued by the Director General of Shipping with minimum ten years of sailing experience of which at least three years’ experience in the capacity of Master or Chief Engineer or five years of experience in classification societies or ship building yards or reputed international shipping companies or the State Port Department or the State Maritime Board or the Directorate General of Shipping or the Mercantile Marine Department or the State Inland Waterways Authority or the Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(d) a basic degree in Naval Architecture with seven years of experience in sea going regular vessels or classification societies or ship building yards or reputed international shipping corporations or the State Port Department or the State Inland Waterways Authority or the Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(e) Diploma in ship building with fifteen years of experience in sea going regular vessels or classification societies or reputed ship building yards or reputed international shipping corporations or the State Port Department or the State Inland Waterways Authority or the Inland Water Transport Directorate or equivalent.”.

11. Rule 24 of the said rules shall be omitted.

12. In the said rules, for Form No. 1, the following form shall be substituted, namely: -



## “Form No. 1

## Form of application for conducting survey of Inland Vessel

Date:

Place:

To,

The Designated Authority

At Port.....

## Application for (indicate type) Survey of Inland Vessel

I/We, the authorised persons under the law hereby apply to you to make necessary arrangement for the Initial/Renewal/Dry Docking/Additional/Annual (strike out the not applicable ones) of the Inland Vessel detailed below.

The particulars of the vessel are as under;

1. Name of vessel
2. Official no. of the vessel
3. Port of Registry of vessel
4. Tonnage (i) Gross.....(ii) Net.....
5. Type of the vessel

(Passenger, Passenger-cum-cargo, Ro-Pax, Ro-Ro, Cargo, Tanker, Chemical Carrier, LNG Carrier, Tug, Dumb Barge, Survey Vessel, Work Boat, Catamaran Passenger Vessel, Pusher Tug, Dredger, Hydrogen, Hybrid Electric Catamaran or any other type of vessel)

6. Category of the Vessel
7. Year of Build
8. Keel laying Date
9. Name and address of Builder
10. Hull Dimensions (LxBxDxT)
11. Place and date of last survey
12. Type & British Horse Power (BHP) of main propulsion Machinery
13. Details of other machineries
14. Owner's name and address with telephone no.
15. Agent's name and address with telephone no.
16. Date and time of proposed visit of surveyor
17. Place of proposed Survey

Signature of Owner/Master/Authorized Person

Station .....

Date.....

Enclosures:

1. Proof of payment of Survey fee and other charges
2. Copy of last Certificate of Survey
3. Copy of Certificate of Registration (if already registered)

4. Document establishing the Authority of Authorised Person (if making request)".
13. In the said rules, in Annexure to Form No. 2, in the table, –
- for heading "Gross Registered Tonnage", the heading "Gross Tonnage" shall be substituted;
  - for heading "Net Registered Tonnage", the heading "Net Tonnage" shall be substituted;
  - under the heading "Firefighting item", for the entry "Fire Pumps (Mech)", the following entry shall be substituted, namely: –  
"Fire Pumps (Mech)/(Electrical)".
14. In the said rules, in Form No. 4, –
- after the words "Name of the Engineer or Engine Driver", for the words and letters "Master's COC Grade", the words and letters "Engineer or Engine Driver COC Grade" shall be substituted;
  - for the words "Signed by Chief Surveyor", the words "Signed by Surveyor or Designated Authority, as applicable" shall be substituted.
15. In the said rules, in Form No. 5, –
- in the heading, the words and letter "- Category A Vessel" shall be omitted;
  - below the heading, for the entry "Certificate of Survey No. \_\_\_\_\_ Zone of operation \_\_\_\_\_", the following shall be substituted, namely: –  
"Category of vessel \_\_\_\_\_  
Certificate of Survey No \_\_\_\_\_ Zone of operation \_\_\_\_\_".
  - for the words "Registered tonnage", the words "Net tonnage" shall be substituted;
  - after the words "Name of the Engineer or Engine Driver", for the words and letters "Master's COC Grade", the words and letters "Engineer or Engine Driver COC Grade" shall be substituted;
  - for the words "Signed by Chief Surveyor", the words "Signed by Surveyor or Designated Authority, as applicable" shall be substituted.
16. Form No. 6 of the said rules shall be omitted.
17. In the said rules, for Form No. 7, the following form shall be substituted, namely: -

"Form No. 7

Particulars to be furnished for Survey of New Vessel or Vessels which are to be surveyed for the first time

1. Name of vessel (if already named)/Yard No. \_\_\_\_\_

2. Owner's name and address

3. Length, breadth and depth of vessel

4. Type of Vessel.

(Passenger, cargo, cargo-cum-passenger, Ro-Ro, Ro-Pax, Chemical Carrier, Liquid Carrier, Tug, Dumb barge, Chemical Carrier, LNG Carrier, Tug, Dumb Barge, Survey Vessel, Work Boat, Catamaran Passenger Vessel, Pusher Tug, Dredger, Hydrogen, Hybrid Electric Catamaran, or any other type of vessel)

5. Particulars of hull

(a) Year of built

(b) Keel Laying Date

(c) Builder's name and address

(d) Builder's certificate

(e) Material of the hull (Mild Steel/Aluminium/Composite/Others)

(f) Number of Bulk heads, their placement and thickness

(g) Hull plating material and thickness

- (h) Frames (material and thickness)
- (i) Floors (material and thickness)
- 6. Particulars of propulsion of Engines
  - (a) Number of sets fitted and Sr. No.
  - (b) Manufacturer's name and brand
  - (c) Model Number
  - (d) Year of built
  - (e) Type of Engine with HP of each
  - (f) Stroke \_\_\_\_\_ Cylinder diameter \_\_\_\_\_
  - (g) Diameter of propulsion shaft and material
  - (h) Type and Number of gears
  - (i) Test certificate
- 7. Particulars of equipment
  - (a) Anchor-Port, Starboard (type, number, weight and Material of each)
  - (b) Anchor-Spare (type, number, weight and material of each equipment)
  - (c) Chain: size type and length and test certificate (Port)
  - (d) Chain: size type and length and test certificate (Starboard)
  - (e) Mooring and Towing Ropes-size, material, breaking strength of rope and number of ropes
  - (f) Search Lights, number, size and power
  - (g) Life buoys, Buoyant apparatus with Self Ignited lights, Number with buoyant lanyard
  - (h) Navigation Lights giving particulars and certificate, main mast, auxiliary mast, port, Starboard, Stem, Anchor not under command
  - (i) Shapes for anchor not under command etc.
  - (j) Sound signals: Mechanical or Electrical
- 8. Particulars of fire appliance
  - (a) Number, size and capacity of fire pumps
  - (b) Fire mains, diameter, material and number of hydrants
  - (c) Number of hoses
  - (d) Nozzles:
    - (i) Jet type
    - (ii) Spray type
    - (iii) Jet/Spray type
  - (e) Any other equipment
- 9. Number of portable fire extinguisher with particulars and name of manufactures
  - (a) Soda Acid
  - (b) Foam
  - (c) Dry Powder
  - (d) Any other types
- 10. Particulars of communication equipment
- 11. Particulars of navigation equipment
- 12. Particulars of pollution control devices

- (a) Sewage treatment and disposal
- (b) Solid waste processing and disposal
- (c) Sound Pollution Control
- (d) Water consumption/day
- (e) Source of water

13. No. of deck crew \_\_\_\_\_ No. of engine crew \_\_\_\_\_

14. Number of passengers and/or deadweight of the cargo

15. Plans, Drawings, etc.”.

16. In the said rules, in Form No. 9, for the words “The Chief Surveyor of Inland Vessels”, the words “The Designated Authority” shall be substituted.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(2)]

P. K. ROY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7<sup>th</sup> June, 2022, *vide* notification number G.S.R. 420 (E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2022.